वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 20.10.2016 के कार्यवाही बिंदु

1. प्रधानमंत्री आवास योजना

1.1 SECC–2011 के आधार पर ग्रामवार हितग्राहियों की संख्या निर्धारित की गई है जिसके भौतिक सत्यापन की कार्रवाई 25 अक्टूबर तक पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें।

1.2 ग्रामवार लक्ष्य हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन पर पाए गए अपात्र हितग्राहियों का प्रतिस्थापन निम्नानुसार किया जाए:–

(i) SECC–2011 में दर्ज आवासहीन को प्रथम प्राथमिकता।

(ii) SECC–2011 में दर्ज शून्य कच्चे आवास को द्वितीय प्राथमिकता।

(iii) SECC–2011 में दर्ज एक कक्ष कच्चा आवास को तृतीय प्राथमिकता निम्न क्रम में:–

(अ) एक कच्चा कक्ष श्रेणी में अनुसूचित जाति के हितग्राही नहीं मिलने की दशा में अनुसूचित जनजाति के हितग्राही को लिया जाए।

(ब) एक कच्चा कक्ष श्रेणी में अनुसूचित जनजाति का हितग्राही नहीं मिलने की दशा में अनुसूचित जाति के हितग्राही को लिया जाए।

(स) एक कच्चा कक्ष आवास श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों वर्ग के हितग्राही नहीं मिलने की दशा में अन्य वर्ग के हितग्राहियों को लिया जाए।

(iv) हितग्राहियों का प्रतिस्थापन SECC–2011 में दी गई वरीयता के अनुक्रम मे ही किया जाए।

(v) किसी ग्राम विशेष के एक कक्ष कच्चा आवास श्रेणी के सभी हितग्राहियो को शामिल करने के बाद भी यदि कोई लक्ष्य बचता है तो वह राज्य को समर्पित (surrender) होगा।

1.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, झाबुआ व्दारा बताया गया कि कुछ पात्र हितग्राही SECC–2011 में बताए ग्राम में निवासरत नहीं होकर निकटवर्ती ग्राम में निवासरत हैं। SECC–2011 में दर्शाए कुछ हितग्राही नाबालिग हैं लेकिन उनके पालक (पिता/माता) संबंधित पात्र श्रेणी में आते हैं। निर्देश दिए गए कि जो हितग्राही पात्र पाए जाएं उनके संबंध में स्वयंपूर्ण प्रस्ताव पृथक से अर्द्ध शासकीय पत्र से विकास आयुक्त को भेजा जाए। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार से विशेष अनुमति लेने के उपरांत उन्हें 2017–18 में लाभान्वित किया जाएगा।

1.4 वन विभाग, शासन के निर्माण विभागों अथवा अन्य किसी विभाग की योजना के तहत विस्थापित किए गए परिवारों को संबंधित विभाग की पुर्नस्थापन योजना के तहत पुनर्वास के लाभ दिए जाने की व्यवस्था है। अतः विस्थापन से प्रभावित ऐसे परिवार जिनको वर्ष 2011 के पश्चात पुनर्वास लाभ दिया गया हो अथवा दिया जाना अपेक्षित हो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता। ऐसे परिवारो को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र माना जाए।

1.5 सिंचाई परियोजनाओं के डूब क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण से विस्थापित किए जाने वाले ग्रामों में निवासरत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाए। ऐसे हितग्राहियों को लाभ दिया जाना निष्फल व्यय होगा।

1.6 नर्मदा घाटी क्षेत्र में पुर्नस्थापन से लाभान्वित परिवारों को पुनर्वास के समस्त लाभ नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा चुके हैं। अतः ऐसे हितग्राही जिन्हें पुनर्वास का लाभ मिल चुका है उन्हें अपात्र माना जाए।

1.7 उपरोक्त श्रेणी में यदि किसी हितग्राही को लाभ दिया जाना आवश्यक होगा तो उनके संबंध में वर्ष 2018–19 के लक्ष्य निर्धारण के समय पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

2. आवास योजनाएं

2.1 विभिन्न आवास योजनाओं के तहत ऑनलाईन और ऑफलाईन जानकारी में अभी भी बहुत अन्तर है। दो माह का समय व्यतीत होने के बाद भी इस अन्तर को समाप्त नहीं किया गया है। समस्त ऑफलाईन जानकारी को तत्परता से ऑनलाईन किया जाए।

2.2 25 एवं 26 अक्टूबर, 2016 को वीडियो कांफ्रेंस के लिए जिलों की रैकिंग आवास की पूर्णता पर की गई है। जिले गूगल शीट में 22 अक्टूबर तक की जानकारी अद्यतन कर लें।

3. स्वच्छ भारत मिशन

3.1 कलेक्टर कांफ्रेंस के लिए स्वच्छ भारत मिशन विषय पर जिलों की रेकिंग ओडीएफ ग्रामों के आधार पर की गई है। वर्ष 2015–16 में 12 जिलों में एक भी ग्राम ओडीएफ नहीं हुआ है। वर्ष 2016–17 में जिन 5 जिलों की उपलब्धि नगण्य होकर प्रदेश मे सबसे नीचे है उन जिलों के नाम बताए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कलेक्टरों से अपेक्षा है कि वे कलेक्टर कांफ्रेंस के लिए समुचित तैयारी कर लें।

3.2 कलेक्टर, मण्डला ने गत दिनों आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों से शौचालय बनवाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। स्वसहायता समूहों को शौचालय बनाने के लिए तीन

माह के लिए Working Capital Advance राज्य स्तर से प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

3.3 शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि एफटीओ से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में ही दी जाएगी। स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहन यह राशि नहीं दी जाएगी।

3.4 हितग्राही शौचालय निर्माण के लिए एजेन्सी चुनने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि हितग्राही स्वसहायता समूहों से शौचालय निर्माण कराना चाहे, तो करा सकता है।

3.5 जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) एवं आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक चर्चा कर निर्धारित करें कि किन–किन स्वसहायता समूहों को कितना Working Capital अग्रिम के रूप में प्रदान किया जाना है। मांग श्री एल.एम बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अजीविका मिशन को भेजें।

4. मनरेगा

4.1 कलेक्टर कांफ्रेंस के लिए जिलों की रैंकिंग जॉबकार्ड के विरूद्ध वर्ष में प्रदाय किए गए रोजगार (लाभांवित परिवारों) के आधार पर की गई है। इस रैंकिंग के आधार पर प्रथम 5 और अंतिम 5 जिलों के नाम बताए गए हैं।

4.2 सभी जिलों में बैंक शाखा/बैंकिग करेस्पोंडेण्ट की सक्रियता, ग्राम पंचायत के लिए साप्ताहिक केलेण्डर निर्धारित करने एवं एक बैंक खाते से राशि आहरण संबंधी निर्देश दि. 12.09.2016 को जारी किए गये हैं। की गई कार्रवाई की जानकारी गूगलशीट पर दिनांक 21.10.2016 तक अनिवार्यतः अपलोड की जाए।

20-10-16.

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश